

अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण / समयबद्ध / द्वारा फैंक्स / ईमेल / क्यूमेल

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सिग्नेचर भवन, पुलिस मुख्यालय, टावर-02 गोमती नगर विस्तार, लखनऊ।
संख्या: डीजी-स्था0-ग्रीष्मकालीन स्था0ना0पु0 / 2019/2680 दिनांक: दिसम्बर 20, 2019
सेवा में,

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक /
पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक /
पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक /
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

कृपया अवगत कराना है कि विगत वर्षों की भांति ही ग्रीष्म कालीन स्थानान्तरण व्यवस्था-2020 के अन्तर्गत जोनल प्रभारी के माध्यम से समयावधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों प्रशासनिक आधार पर संस्तुत प्रकरण एवं अनुकम्पा के आधार पर निम्न पदों पर कार्यरत कर्मियों यथा:-

- 1- निरीक्षक नागरिक पुलिस
- 2- उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस
- 3- उपनिरीक्षक ना0पु0 वि0श्रे0श्रेणी / मुख्य आरक्षी ना0पु0
- 4- मुख्य आरक्षी वि0श्रे0 / आरक्षी पुलिस,

के स्थानान्तरण विषयक हस्ताक्षरयुक्त सूचनाएं निर्धारित प्रारूप में दिनांक: 28-02-2020 तक इस मुख्यालय को जरिये विशेष वाहक एवं साफ्ट कापी ईमेल आईडी digkarmik@gmail.com पर अपने स्पष्ट अभिमत सहित, "पुलिस स्थापना बोर्ड" विचारार्थ उपलब्ध करायी जाय। सम्बन्धित कर्मियों की नियुक्ति अवधि की गणना हेतु कट-आफ-डेट 30-04-2020 नियत की गयी है।

उपरोक्त सूचनाओं मुख्यालय प्रेषित करने से पूर्व निम्न कार्यवाही परिक्षेत्र एवं जोनल स्तर पर पूर्ण कर ली जाये :-

- (1) परिक्षेत्रीय प्रभारी अपने स्तर पर समायोजन हेतु चिन्हीकरण की कार्यवाही दिनांक 10-02-2020 तक पूर्ण कर लेंगे तथा जोनल एवं मुख्यालय स्तर से वांछित स्थानान्तरण से सम्बन्धित सूची जोनल कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- (2) जोनल प्रभारी अपने स्तर पर समायोजन हेतु चिन्हीकरण की कार्यवाही दिनांक: 20-02-2020 तक पूर्ण कर लेंगे।
- (3) मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरित किये जाने वाले कर्मियों के सम्बन्ध में जोन के समस्त जनपदों की संकलित / समेकित सूची / विवरण दिनांक: 28-02-2020 तक इस मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे। निर्धारित अवधि के उपरान्त यदि कोई नामांकन प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा और उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यालय का होगा।
- (3) स्थानान्तरण से सम्बन्धित सन्दर्भों का परीक्षण शासनादेश दिनांक: 11-07-1986, 07-06-2014 व 24-07-2015 इस मुख्यालय के पत्र दिनांकित: 22-06-2017 में निहित प्राविधानों को ध्यान में रखते हुये किया जाये। शासनादेश व पत्र की प्रति संलग्न है।

- (4) परिक्षेत्र/जोन/मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरित ऐसे कर्मियों को अवश्य सूचीबद्ध कर लिया जाये जिनका विगत वर्ष में स्थानान्तरण हो चुका है, परन्तु विभिन्न कारणों से अभी तक कार्यमुक्त नहीं किये गये हैं।
- (5) प्रत्येक जनपद/कार्यालय का पदवार स्वीकृत नियतन/उपलब्धता/रिक्ति एवं अधिकता का विवरण भी संलग्न किया जायेगा।
- (6) इस मुख्यालय द्वारा स्थानान्तरण सम्बन्धी समस्त कार्यवाही दिनांकित: 31-03-2020 तक पूर्ण कर ली जायेगी अतएव जोन एवं परिक्षेत्र स्तर से चिन्हित समस्त कर्मियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही दिनांक: 31-03-2020 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाये।
- (7) परिक्षेत्र/जोनल/मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरित समस्त कर्मियों को दिनांक: 30-04-2020 तक प्रत्येक दशा में कार्यमुक्त कर दिया जाये। यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि दिनांक: 30-04-2020 के उपरान्त कोई कर्मी कार्यमुक्त किये जाने हेतु शेष न रहे।

(1) अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण-

अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले कर्मियों प्रार्थना-पत्रों में अंकित समस्याओं का परीक्षण जनपद स्तर पर करते हुये, अंकित तथ्य सत्य पाये जाने एवं स्थानान्तरण आवश्यक होने पर प्रार्थना-पत्र एवं सम्पूर्ण सेवा विवरण संस्तुति सहित निर्धारित प्रारूप-"ए" में उपरोक्तानुसार अग्रसारित किया जायेगा। इन सूचनाओं एवं आवेदनों का परीक्षण परिक्षेत्र एवं जोन स्तर पर भी किया जायेगा एवं मुख्यालय स्तर से अपेक्षित कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण ही इस मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

- अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण पुलिस कर्मी का अधिकार और विभाग के लिये बाध्यकारी नहीं होगा क्योंकि ऐसा करते समय भी शासकीय/विभागीय हित को वरीयता दिया जाना आवश्यक होगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घुमा फिराकर एक ही स्थान पर कर्मी के स्वहित में काफी लम्बी अवधि तक तैनाती नहीं की जायेगी। यह स्पष्ट करना समीचीन है कि मात्र गृह जनपद की दूरी सामान्यता अनुकम्पा का आधार नहीं होगा।
- जनपदीय पुलिस अधीक्षक अनुकम्पा के आधार पर आवेदन पत्र अग्रसारित करते समय प्रतिस्थानी की आवश्यकता के सम्बन्ध में भी टिप्पणी अंकित करेंगे।
- यदि पूर्व में प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हुआ हो एवं उसके कारण व उपलब्ध अभिलेखीय आधार उपलब्ध हों तो उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

(2) निर्धारित समयावधि पूर्ण करने वाले कर्मियों का स्थानान्तरण-

जनपद/इकाई में सम्बन्धित कर्मी की नियुक्ति अदधि की गणना हेतु **Cut of Date 30-04-2020** नियत की गयी है। निर्धारित कार्यकाल निम्नवत् है:-

क्र०सं०	पदनाम	निर्धारित कार्यकाल	
		एक जनपद में	एक परिक्षेत्र में
1	निरीक्षक ना०पु०	05 वर्ष	12 वर्ष
1	उपनिरीक्षक ना०पु०	06 वर्ष	12 वर्ष
2	उपनिरीक्षक ना०पु० वि०श्रे० / मुख्य आरक्षी ना०पु०	10 वर्ष	-
3	मुख्य आरक्षी ना०पु० वि०श्रे० / आरक्षी पुलिस	15 वर्ष	-

उपर्युक्तानुसार निर्धारित कार्यकाल की परिधि में आने वाले अधिकारी/कर्मचारियों का विवरण अलग-अलग निर्धारित प्रारूप-“बी” में हार्ड कापी एवं सी0डी0 सहित जनपदों द्वारा परिक्षेत्र/जोनल प्रभारी के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।

3- प्रशासनिक एवं जनहित में स्थानान्तरण :-

प्रशासनिक एवं जनहित में स्थानान्तरण की संस्तुति इस मुख्यालय के पत्र संख्या डीजी-चार-स्था0(निर्देश)/2017 दिनांक:22-06-2017 के शीर्षक “प्रशासनिक स्थानान्तरण” के बिन्दु संख्या 1 से 6 में अंकित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये किया जाये।

4- ऐसे कर्मियों जो विगत वर्षों से स्थानान्तरणाधीन है, परन्तु विभिन्न कारणों से अभी तक कार्यमुक्त नहीं हो सके हैं,

- को पदवार चिन्हित कर अभी तक कार्यमुक्त न किये जाने के स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुये उनकी सूचना प्रारूप-डी में संलग्न की जाये साथ ही ऐसे कर्मियों जिनके नाम इस सूची से इतर अन्य सूची में भी है तो उनके नाम के सम्मुख इन तथ्यों का अवश्य अंकन किया जाये।
- मा0 उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा यदि स्थानान्तरण विषयक किसी प्रकरण में कोई स्थगनआदेश पारित किया गया हो तो उसका स्पष्ट विवरण अंकित करते हुये स्थगन सम्बन्धी मा0 न्यायालय के निर्णय की प्रति भी संलग्न की जाये तथा प्रकरण में अब तक की गयी कार्यवाही का भी उल्लेख किया जाये।

सामान्य निर्देश

1. इस पत्र के साथ निम्न प्रारूप संलग्न है:-

प्रारूप-ए	अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले-
प्रारूप-बी	निर्धारित समयावधि
प्रारूप-सी	प्रशासनिक एवं जनहित।
प्रारूप-डी	पूर्व से स्थानान्तरणाधीन कर्मियों का विवरण
प्रारूप-ई	पदवार स्वीकृत नियतन/उपलब्धता/रिक्ति का विवरण

2. प्रायः यह देखने में आता है कि जनपदों में ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण के अन्तर्गत अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जनपद/परिक्षेत्र/जोन स्तर पर कर्मियों को समय से प्रचार-प्रसार न हो पाने के कारण, ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण की जनपद/परिक्षेत्र/जोन स्तर पर निर्धारित तिथि के उपरान्त अराजपत्रित पुलिस कर्मियों अपने प्रार्थना-पत्र लेकर सीधे इस मुख्यालय पर उपस्थित होते हैं, जिससे मुख्यालय पर अनावश्यक रूप से राजकीय कार्य प्रभावित होता है। अतः अपने जनपद/परिक्षेत्र/जोन में ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें, जिससे सभी स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कर्मियों अपना आवेदन समय से कर सकें तथा कोई भी कर्मियों स्थानान्तरण के लिए सीधे मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ में प्रस्तुत नहीं होगा।

3. अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कर्मियों में से यदि कोई कर्मियों पूर्व में आपके जनपद में प्रशासनिक/जनहित में स्थानान्तरण पर आया हो तो तत्सम्बन्धी आदेश संख्या व दिनांक का उल्लेख अवश्य किया जाय।

4. सम्बन्धित कर्मियों के प्रार्थना पत्र को कर्मांकित किया जाये तथा कमवार सम्बन्धित प्रारूप में टंकित किया जाये।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अशा0 पत्रांक: 8/2008 दिनांक 29.01.2008 के अनुसार सभी कर्मियों का पर्सनल नम्बर (पी0एन0ओ0) अंकित किया जायेगा। पर्सनल नम्बर के बिना किसी प्रकार का स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जायेगा।
6. सम्बन्धित जनपद/कार्यालय प्रभारी का यह दायित्व होगा कि जिन कर्मियों के स्थानान्तरण की सूची/संस्तुति भेजी जाय उनके पीएनओ नामिनल रोल डाटाबेस आन-लाइन में स्थानान्तरण सेवा विवरण, पूर्व नियुक्तियाँ एवं अन्य विवरण अद्यावधिक पूर्ण कर लिये जायें, यदि कोई कर्मि पूर्व में वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहा हो तो उसका विवरण भी अंकित किया जाय, यदि किसी प्रकरण में सम्बन्धित कर्मि का सेवाविवरण नामिनल रोल डाटाबेस में अपूर्ण पाया जाता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जनपद/कार्यालय प्रभारी की होगी।
7. स्थानान्तरण के समय विभागीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय। ऐसा करते हुए भी पुलिस कर्मि की वास्तविक समस्या के समाधान हेतु यथासम्भव सहानुभूति पूर्वक उसके प्रकरण पर विचारण किया जाय, जिससे वह पूर्ण मनोयोग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा प्राप्त नामांकन/संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत नियतन, उपलब्धता, रिक्ति एवं आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।
8. ग्रीष्कालीन स्थानान्तरण से सम्बन्धित उपरोक्त सभी सूचनाएं Microsoft Excel Sheet Krishna Font में तैयार कर प्रेषित की जाये, जिसमें यह ध्यान रखा जाये कि प्रत्येक कर्मि का विवरण एक सेल/रो में ही भरा जाय, कोई भी सेल मर्ज कदापि न किया जाय।
9. सभी सूचनाएं प्रिन्ट आउट के साथ सी0डी0 तथा **E Mail ID- digkarmik@gmail.com** में भी अवश्य प्रेषित की जाय।

संलग्नक:प्रारूप।

(डा0 राकेश शंकर)

पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने अधीनस्थ इकाईयों में नियुक्त कर्मियों के कार्यकाल की गणना इस मुख्यालय के पत्र संख्या:डीजी-चार-स्था0- निर्देश-2017/900 दिनांक: 22-06-2017 के शीर्षक "कार्यकाल निर्धारण के सम्बन्ध में मानक" में निहित प्रावधानों के अनुसार परीक्षण कराकर अपने स्तर से समायोजित करने तथा जिन कर्मियों का समायोजन उनके अधीनस्थ इकाईयों में सम्भव न हो, से सम्बन्धित कर्मियों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार सूचना निर्धारित प्रारूप में अलग-अलग सी0डी0 में तैयार कराकर मय हार्ड कापी दिनांक 20.02.2020 तक इस मुख्यालय को भिजवाने का कष्ट करें:-

1-अपर पुलिस महानिदेशक,तकनीकी सेवायें/प्रशिक्षण निदेशालय/विशेष जांच/ भ्र0नि0सं0/ ई0ओ0डब्लू/अभिसूचनामुख्यालय/एसआईटी/मानवाधिकार/सतर्कता अधिष्ठान/रेडियो मुख्यालय/ सीबीसीआईडी/सहकारिता विभाग/फायर सर्विस मुख्यालय/यातायात निदेशालय/आईटैक्स/एटीएस उ0प्र0 लखनऊ/उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय प्रयागराज/लाजिस्टिक/डा0 भीमराव अम्बेडकर अकादमी,मुरादाबाद/ पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद/पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, सीतापुर/ ए0टी0सी0 सीतापुर।

2- पुलिस महानिरीक्षक, एसटीएफ0 उत्तर प्रदेश लखनऊ।

3- निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 लखनऊ।

4- पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 कम्प्यूटर केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ।

5- अपर पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 केन्द्रीय वस्त्र भण्डार कानपुर।

6- सेनानायक, ए0पी0टी0एस0 चुनार, मिर्जापुर/फायर सर्विस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव।

7- सेनानायक, पीटीएस मेरठ/गोरखपुर/मुरादाबाद/उन्नाव/सुल्तानपुर/जालौन।

8- पुलिस अधीक्षक, दस्यू उन्मूलन अभियान, कानपुर।

9- राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी, सीतापुर।

10- मोटर वाहन अधिकारी, रीजनल वर्कशाप, वाराणसी/मुरादाबाद/आगरा/लखनऊ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।

2- अपर पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, उ0प्र0 लखनऊ।

3- पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।

अनुसूचित जाति के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले कर्मियों का विवरण																					
प्राकृतिक 'यु'																					
क्र.सं०	परनाम	बजट नं०	वीएनएनओ नं०	कर्म का नाम	दिल्ली का नाम	जाति श्रेणी	जन्म तिथि	मर्जी की तिथि	वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि	गुट्टे जनपद	पूर निरुत्तरीयता का विवरण				वर्तमान नियुक्ति का जनपद	वर्तमान जनपद में नियुक्ति की तिथि	अनुसूचित जाति के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले कर्मियों का विवरण			दिनांक पर प्रशासनिक आचार पर स्थानान्तरित हुआ है तो उसका विवरण	कौड़े कर्मों है तो उसका विवरण
											जनपद/इकाई का नाम	कारण	कारण	कारण			प्रथम बरीयता	द्वितीय बरीयता	तृतीय बरीयता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

कार्यालयध्यक्ष के हस्ताक्षर
व मुहर

नोट: समस्त सूचनाएं भाइकोसाफ्ट एक्सल में हिन्दी फान्ट(कृष्णा) में तैयार की जाय, कोई कालम गर्ज न किये जाय, एक कर्मों की सूचना एक ही सेल में फीड की जाय व समस्त तिथियाँ DD/MM/YYYY में अंकित की जाय।

निर्धारित अवधि पूर्ण करने वाले कर्मियों का विवरण																	
प्राकल्प "बी"																	
क्र.सं.	पदनाम	बीज नं०	धीरनआन नं०	कर्म का नाम	पिता का नाम	जाति श्रेणी	जन्म तिथि	पत्नी की तिथि	पद पर नियुक्ति की तिथि	पूर्व जनपद	पूर्व नियुक्ति का जनपद/इकाई का नाम	कर्म से कब तक	नियुक्ति का जनपद	व्यवस्थापन जनपद में नियुक्ति की तिथि	यदि कर्म समाप्त आदेश पर दिया गया है तो उसमें धरित विकल्प	यदि कर्म स्थानान्तरण/धीन है तो उसका विवरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

कार्यालय/वायस के द्वारा/द्वारा
व मुहर

नोट: समस्त सूचनायें माइक्रोसाफ्ट एक्सल में हिन्दी फॉन्ट(कृष्णा) में तैयार की जायं, कोई कालम मर्ज न किये जाय, एक कर्म की सूचना एक ही सेल में फीड की जाय व समस्त तिथियाँ DD/MM/YYYY में अंकित की जाय।

प्राकृष 'सी'

प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किये जाने वाले कर्मियों का विवरण																				
क्र.सं.	पदनाम	वै. जं. नं०	वीरता नं०	कम का नाम	पिता का नाम	जाति	जन्म तिथि	मर्णा की तिथि	वर्तमान पद पर नियुक्ति का तिथि	पूर्व पद	पूर्व नियुक्ति का विवरण		वर्तमान पद का विवरण		वर्तमान पद का विवरण	अन्य पदों में नियुक्ति का तिथि	कर्म का नाम	स्थानान्तरण हेतु स्पष्ट कारण/संक्षिप्त विवरण	स्थानान्तरण की तिथि	संस्थान
											क	क	क	क						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
0																				

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
व मुहर

नोट: समस्त सूचनायें माइक्रोसाफ्ट एक्सल में हिन्दी फ़ॉन्ट(कृष्णा) में तैयार की जायं, कोई कालम मर्ज न किये जाय, एक कर्म की सूचना एक ही सेल में फीड की जाय व समस्त तिथियाँ DD/MM/YYYY में अंकित की जाय।

श्रावण "डी"											
स्थानान्तरणार्थीन पतिव्रत कर्मियों का दिवस, जिन्हें कार्यभार नहीं किया गया।											
क्र०सं०	पदनाम	वैत नं०	धरनओ० नं०	कर्म का नाम	पिता का नाम	नियुक्त जनपद का नाम	आदेश सख्या व दिनांक, जिसके द्वारा स्थानान्तरण किया गया है।	कहाँ से	कहाँ को	कार्यभार न किया जाने का कारण	अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

कार्यालयध्यक्ष के हस्ताक्षर
व मुहर

ग्राहक "ई"										
स्वीकृत, नियतन, उपलब्धता, रिक्ति एवं अधिवृत्ता का विवरण										
क0स0	जनपद का नाम	पदनाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धता	रिक्ति	अधिकता	अनुक्रमण प्रेषित नामांकन की संख्या	निधारित अबाधि आधार पर प्रेषित नामांकन की संख्या	प्रशासनिक आधार पर प्रेषित नामांकन की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
व मुहर

मुख्यालय

पुलिस

महानिदेशक,

अतिआवरण/महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश

1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

संख्या:डीजी-चार-स्था(निर्देश)/2017/900
सेवा में,

दिनांक:जून 22 2017

**समस्त जौनल अपर पुलिस महानिदेशक/
पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।**

कृपया अवगत करना है कि अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के वार्षिक एवं सामान्य स्थानान्तरण प्रक्रिया, प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण प्रक्रिया में आन्तरिक अनुशासन व पारदर्शिता बनाये रखने हेतु विभागीय मानकों को पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इन धानकों में से निम्न बिन्दुओं पर जौनल/परिक्षेत्रीय एवं जनपदीय प्रभारी के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है :-

कार्यकाल निर्धारण के सम्बन्ध में मानक :-

- 1- शासनादेश दिनांकित: 11-07-1988 के अनुसार निरीक्षक व उपनिरीक्षक का एक जनपद का अधिकतम कार्यकाल क्रमशः 05 वर्ष व 06 वर्ष निर्धारित है तथा परिक्षेत्र का अधिकतम कार्यकाल 12 वर्ष निर्धारित है। इसी प्रकार मुख्य आरसी व आरसी का एक जनपद का अधिकतम कार्यकाल क्रमशः 10 व 15 वर्ष निर्धारित है। इसके अतिरिक्त निरीक्षक व उप निरीक्षक अपने गृह परिक्षेत्र व गृह जनपद के सीमावर्ती जनपदों में नियुक्त नहीं किये जा सकते हैं। मुख्य आरसी व आरसी अपने गृह जनपद व गृह जनपद के सीमावर्ती जनपद में नियुक्त नहीं किये जा सकते हैं। सम्बन्धित कर्मियों को उन जनपदों में भी नियुक्त नहीं किया जा सकता है, जहां पर उनकी अचल सम्पत्ति हो।
- 2- जनपद लखनऊ में निर्धारित सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त मुख्य आरसी ना०पु०/स०पु० एवं आरसी पुलिस लखनऊ स्थित अजनपदीय इकाई में अधिकतम 05 वर्ष ही नियुक्त रहेंगे। इसी प्रकार निरीक्षक/उपनिरीक्षक ना०पु० भी लखनऊ स्थित अजनपदीय इकाई में अधिकतम 03 वर्ष ही नियुक्त रहेंगे। जनपद लखनऊ के अतिरिक्त अन्य सभी जनपदों में निर्धारित जनपदीय सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त कोई भी निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरसी व आरसी उसी जनपद में स्थित अजनपदीय इकाई में नियुक्त नहीं रह सकेगा।
- 3- शासनादेश दिनांक: 24-07-2015 में पुलिस विभाग के अराजपत्रित पुलिस कर्मियों (निरीक्षक व उपनिरीक्षक को छोड़कर) जिनकी सेवा अवधि 02 वर्ष या उससे कम है, को उनके गृह जनपद के सीमावर्ती जनपदों में नियुक्त किये जाने की व्यवस्था दी गयी है, परन्तु शासनादेश दिनांक: 11-07-1988 में दी गयी व्यवस्था के दृष्टिगत सम्बन्धित कर्मियों को जिस जनपद में उसका कार्यकाल पूर्ण है, नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।
- 4- जिन पुलिस कर्मियों की सेवानिवृत्ति 01 वर्ष या उससे कम अवधि में है जब निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरसी व आरसीगत जिनकी सम्बन्धित जनपद/परिक्षेत्र में समयावधि पूर्ण हो चुकी है परन्तु वह उसी जनपद/परिक्षेत्र में बने रहना चाहते हैं, तो उन्हें अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।
- 5- किसी भी अराजपत्रित पुलिस कर्मियों की राजकीय रेलवे पुलिस में तैनाती की अवधि उस जनपद में जोड़ी जायेगी, जिस जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाले थाना/घौकी में वह कार्यरत रहा है।

- 6- अजनपदीय इकाईयों के मुख्यालय एवं खण्ड/अनुभाग में ऐसे पुलिस पुलिस कर्मियों की नियुक्ति नहीं की जायेगी, यदि वह अजनपदीय इकाई अथवा उसका खण्ड/अनुभाग उनके गृह जनपद में स्थित है।
- 7- उपरोक्त मानक वार्षिक एवं सामान्य स्थानान्तरण प्रक्रिया में भी लागू होंगे।

वार्षिक स्थानान्तरण :-

- 1- मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश स्तर पर वार्षिक स्थानान्तरण में निरीक्षक ना0पु0 एवं उपनिरीक्षक ना0पु0, स0पु0 को पूर्व की भांति जोन आवंटित किया जायेगा। मुख्य आरक्षी ना0पु0, स0पु0 व आरक्षी पुलिस को परिक्षेत्र आवंटित किया जायेगा।
- 2- मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में जोनल/परिक्षेत्रीय पुलिस स्थापना बोर्ड, द्वारा एक सप्ताह में पुलिस कर्मियों को जनपदों में स्थानान्तरित/आवंटित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। जनपद स्थानान्तरित/आवंटित करते समय जोन/परिक्षेत्र के जनपदों में पुलिस कर्मियों के रिक्तियों के अनुपातिक सन्तुलन को बनाये रखने का दायित्व सम्बन्धित जोनल/परिक्षेत्रीय प्रभारी का होगा।
- 3- जोनल/परिक्षेत्रीय पुलिस स्थापना बोर्ड कर्मियों को जनपद आवंटित किये जाने की सूचना सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को देंगे जो अधिकतम दो सप्ताह में प्रत्येक दशा में स्थानान्तरित कर्मियों को कार्यमुक्त करेंगे।
- 4- यदि कोई कर्मी वार्षिक स्थानान्तरण आदेश के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे तो मुख्यालय स्तर से आदेश निर्गत होने के 15 दिवस के अन्दर सीधे पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना कार्यालय को प्रेषित कर सकेगा, जिसे जोनल स्तर से अभिमत प्राप्त कर नियमानुसार निस्तारित किया जायेगा। मुख्यालय द्वारा प्रत्यावेदन निस्तारण के उपरान्त निर्णयानुसार सम्बन्धित कर्मी को 07 दिवस के अन्दर कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
- 5- वार्षिक स्थानान्तरण में कार्यकाल निर्धारण हेतु कट आफ डेट सदैव की भांति दिनांक: 30 अप्रैल को ही मानते हुए गणना की जायेगी।
- 6- सभी स्तरों पर वार्षिक स्थानान्तरण की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जायेगी। इस अवधि के उपरान्त सामान्य: स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे।

सामान्य स्थानान्तरण :-

- 1- वार्षिक स्थानान्तरण के उपरान्त यदि किन्हीं कर्मियों का गम्भीर/अपरिहार्य परिस्थितिदश स्थानान्तरण किया जाना नितान्त आवश्यक हो तो सक्षम पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा उच्च स्तर से अनुमति प्राप्त कर ही स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 2- अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण हेतु केवल उन आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जायेगा जो सम्बन्धित अराजपत्रित पुलिस कर्मी द्वारा उचित माध्यम से प्रेषित/प्रस्तुत किये गये हैं।
- 3- कर्मी द्वारा यदि उचित माध्यम के अतिरिक्त जनप्रतिनिधियों, कर्मिकों के परिवारीजन/रिश्तेदारों के माध्यम से अथवा अन्य श्रोतों से स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किये जाते हैं, तो उसे स्पष्ट रूप से सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1958 के नियम 27-क में निहित निर्देशों का उल्लंघन होने के कारण सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

प्रशासनिक स्थानान्तरण :-

- 1- अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण की संस्तुति स्पष्ट तथात्मक आधारों पर ही की जायेगी। अनिश्चयता / एलओआईएयू की आख्या, कर्मी द्वारा व्यवसाय किया जाना, गैरकानूनी/अनैतिक कार्यों में लिप्त होना अथवा उसका आधारण सरकारी कर्मचारी आधारण नियमावली के विरुद्ध है आदि, स्पष्ट तथात्मक आधार होंगे। मात्र अस्पष्ट शय अंकित करना स्थानान्तरण का आधार नहीं माना जायेगा। सम्बन्धित कर्मियों के विरुद्ध आरोपों के सन्दर्भ में अनिवार्य रूप से गहराई से जांच करायी जाये तथा आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाये।
- 2- ऐसे अराजपत्रित पुलिस कर्मियों जिनका स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया जाना अनिवार्य ही हो, के सम्बन्ध में समग्र तथ्यों पर गहनता से विचार करते हुये यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि ऐसे कर्मी के स्थानान्तरण से इंगित प्रशासनिक कारण वास्तव में दूर हो सकेंगे।
- 3- प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हेतु सन्दर्भित किये जाने वाले प्रकरणों को सम्बन्धित परिक्षेत्रीय एवं जौनल प्रभारी के माध्यम से एवं अजनपदीय इकाईयों के विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।
- 4- प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होने पर उन्हें स्थानान्तरित जनपद/स्थान हेतु तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
- 5- प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित अराजपत्रित पुलिस कर्मी को उस जनपद/इकाई में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।
- 6- प्रशासनिक आधार पर किसी भी पुलिस कर्मी को किसी भी समय किसी भी जनपद/इकाई में सक्षम पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा स्थानान्तरित किया जा सकता है।

निलम्बन दशा में सम्बद्धता :-

- 1- निलम्बित पुलिस कर्मी को उनके नियुक्ति स्थान से अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा, बरन शासनादेश दिनांकित 12-08-2010 में निहित प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक होने पर निलम्बित कर्मी को अन्यत्र परिक्षेत्र अथवा उसके जनपदों में सम्बद्ध किया जायेगा।
- 2- ऐसे सम्बद्ध कर्मियों की बहाली पर सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह बहाली की सूचना सम्बद्धता आदेश निर्गत करने वाले अधिकारी व सम्बद्धता के जनपद को तत्काल उपलब्ध करायेगे।

एक जनपद से दूसरे जनपद अथवा कार्यालय में कर्तव्यरत कर्मियों की सम्बद्धता

- 1- किसी भी अराजपत्रित पुलिस कर्मी को किसी भी जनपद/इकाई/कार्यालय में किसी भी दशा में सम्बद्ध नहीं किया जायेगा। सम्बन्धित पुलिस कर्मी जिस पद पर कर्तव्यरत है, वह पद यदि उस जनपद/इकाई/कार्यालय में स्वीकृत है, तो तभी उस पदधारक को वहां नियुक्त किया जायेगा।
- 2- आवश्यक होने पर स्वीकृत नियतन से अधिक कर्मियों की नियुक्ति की जा सकेगी, परन्तु किसी भी दशा में कर्मी सम्बद्ध नहीं किये जायेंगे।

- 3- जिन कार्यालयों/इकाईयों में जिस पद का स्वीकृत नियतन नहीं है, वहाँ उस पद के कर्मी नियुक्त नहीं किये जायेंगे।

स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन-

- 1- सक्षम पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के सम्बन्ध में निर्गत स्थानान्तरण आदेशों के अनुपालन में स्थानान्तरित कर्मी को स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होने के पन्द्रह दिवस में अन्दर प्रत्येक दशा में कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
- 2- किसी भी अराजपत्रित पुलिस कर्मी का स्थानान्तरण आदेश किसी भी दशा में स्थगित नहीं किया जा सकेगा।
- 3- जोनल/परिक्षेत्रीय प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित अवधि पूर्ण कर चुके कर्मियों को प्रत्येक दशा में अन्यत्र स्थानान्तरित/रवाना कर दिया जाये। यदि किन्हीं कर्मियों को जोन के अन्तर्गत समयोजित किया जाना सम्भव न हो तो उनका सेवा-विवरण इस मुख्यालय को प्रेषित किया जाये।
- 4- इस मुख्यालय द्वारा निर्गत स्थानान्तरण आदेशों से स्थानान्तरित कर्मियों के कार्यमुक्ति के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या जोनल/परिक्षेत्रीय प्रभारी एवं अजनपदीय इकाई के कार्यालय/अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक माह इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 5- जोनल/परिक्षेत्रीय प्रभारी तथा अजनपदीय इकाई के विभागाध्यक्ष, अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत स्वयं द्वारा स्थानान्तरित कर्मियों के कार्यमुक्ति का पर्यवेक्षण करेंगे। इस मुख्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में सूचना मांगे जाने पर तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति :-

- 1- मुख्य आरक्षी पीएसी से मुख्य आरक्षी स0पु0 के पद पर स्थानान्तरित होने पर जनपद/इकाई में आगमन की तिथि से दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित किये जाने पर विचार किया जायेगा।
- 2- वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित कर्मी नियुक्ति जनपद से कार्यमुक्त होकर मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 स्थित प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ में आगमन दर्ज कराकर ही प्रतिनियुक्ति की इकाई हेतु प्रस्थान करेगा। प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मियों को 02 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के उपरान्त उन्हें मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 स्थित प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ हेतु वापस किया जायेगा, जहाँ से उन्हें स्थानान्तरित जनपद हेतु रवाना किया जायेगा।
- 3- प्रतिनियुक्ति से वापस आये कर्मियों की उनके प्रतिनियुक्ति कार्यकाल के सम्बन्ध में यदि शिकायत प्राप्त होती है तो, सम्बन्धित जोनल/परिक्षेत्रीय प्रभारी समीक्षोपरान्त आवश्यक होने पर उक्त को कर्मी अन्यत्र स्थानान्तरित करेंगे।
- 4- 02 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त किसी भी दशा में प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाई नहीं जायेगी।
- 5- वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति से गहन जनपद में वापस जाने पर उसे न्यूनतम दो वर्ष तक उस जनपद में नियुक्त/स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा, जहाँ पर वह वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति के दौरान कार्यरत था।


6- वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति के दौरान कर्मी-जिन-जिन जनपदों में कार्यरत रहेगा वह अवधि उसकी उस जनपद की जनपदीय पुलिस सेवा अवधि में आगणित की जायेगी।

7- वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मी को प्रतिनियुक्ति की इकाई द्वारा उन जनपदों में नियुक्त नहीं किया जायेगा जहां सम्बन्धित कर्मी का पुलिस विभाग का जनपदीय कार्यकाल पूर्ण हो। अराजपत्रित पुलिस कर्मियों का जनपदीय कार्यकाल शासनादेश दिनांकित: 11-07-1988 द्वारा परिभाषित है। साथ ही प्रतिनियुक्ति की इकाई में भी उसकी नियुक्ति अवधि सम्बन्धित जनपद में निर्धारित कार्यकाल से अधिक नहीं होगी।

8- वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित कर्मी द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने पर बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किये अपने गहन जनपद/इकाई में आगमन करा लिया जायेगा। ऐसा न करने पर आदेशों की अवहेलना के सम्बन्ध में गहन जनपद/इकाई के प्रभारी पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

9- प्रतिनियुक्ति पर तैनात किसी भी कर्मी को प्रशासनिक आधार पर प्रतिनियुक्ति के उपराम/इकाई द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही पैत्रक विभाग को वापस किया जा सकेगा।

अतः अनुरोध है कि अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में समिति द्वारा तय किये गये मानकों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।



(एसपी) शिवहर
पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- समस्त परित्तीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सूचनाार्थ प्रेषित :-

- 3- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पुलिस।


24/6/17

श्री आर.पी.वर्मा
CA-014 90

श्री आर.पी.वर्मा

श्री आर.पी.वर्मा,
गृह अधिकारी,
असा. प्रशा. शाखा।

श्री आर.पी.वर्मा,
गृह अधिकारी,
असा. प्रशा. शाखा।

गृह(प्रशा.)अनुभाग-1
विषय- पुस्तिका दाता के को-सूची देव. कार्यालय, उपनिवेशक तथा निरीक्षक की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण।

तारीख : दिनांक : 11 जुलाई, 1983।

महोदय,
उपरोक्त विषयक आदेशवशात् संख्या-3442/आसा-1-31/70 दिनांक 27 जून 1983 का अधिसूचना काटे हुए श्री अनुभाग पर आदेश देते हैं कि पुस्तिका दाता के को-सूची देव. कार्यालय, उप निरीक्षक तथा निरीक्षक की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण के विषय में निम्न अधिसूचना अर्थात् आर.पी.वर्मा के को-सूची देव. कार्यालय में स्थानान्तरित किया जाय।

- 1- किसी भी निरीक्षक अथवा उपनिरीक्षक को उसके गृह अधिकारी ने तैयार न किया गया रूप ही किसी भी निरीक्षक अथवा उपनिरीक्षक को ऐसे जिले में तैयार न किया जाय जो उसके गृह अधिकारी से हो-सकती हो।
- 2- किसी भी निरीक्षक अथवा उपनिरीक्षक को एक परिधि में पूरे सेवा कायम में 12 वर्ष से अधिक अवधि प्राप्त नियुक्ति न रहा जाय। न्यूनतम अवधि 5 वर्ष से अधिक नियुक्ति न किया जाय। तथा निरीक्षक को एक पर्यन्त में 5 वर्ष से अधिक नियुक्ति न किया जाय।
- 3- अधिसूचना विभाग के अधीनस्थ सभी उप निरीक्षक को निरीक्षक के पर या तैयारी जिले जाये तबकी प्रथम नियुक्ति दिनांक पुस्तिका दाता की जाय अर्थात् उनकी नियुक्ति अंततः अनुबंधित विभाग/सांकेतिक विभाग अर्थात् न की जायेगी। नवी नियुक्ति जन्म से एक वर्ष के लिए होगी। इस नियुक्ति में भी उनके गृह अधिकारी एवं उपनिवेशक को-सूची देव. कार्यालय के प्रतिबन्ध सहायकता प्राप्त होगी। यदि कोई भी निरीक्षक को-सूची के लिए अनुबंधित होने के बादत विभागात्मक वत के अधीनस्थ अपनी जैतनी के उप नियुक्ति इत्यादि पर नियंत्रण प्रदान करी जाय है तो उसे जन्म से एक वर्ष के लिए को-सूची देव. कार्यालय का रिक्त जाय।

आर.पी.वर्मा
गृह अधिकारी
असा. प्रशा. शाखा

पुस्तिका दाता के को-सूची देव. कार्यालय (असा.)
असा. प्रशा. शाखा
08322423850

(2)

- 4- इतिहास द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि पाने को प्रभावी अधिकारी समीक्षित करने से स्थावर अधिभूत ही रहे, जब: दायित्वकर्ता विन निर्दिष्ट/अप निर्दिष्टता से 30 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त कर ली हो, उन्हें धन का कार्रवाई न किया जाय। इस संबंध में- राष्ट्रीय कनवेंशनल हेल्थिंकार्लंड गंतम से व्यती किये जा रहे हैं।
- 5- ईंट कानिडा में कान्कटेरिड को अपने गृह चरक से तथा गृह चरक के कार्यकारी कार्यों में तीव्रता व किराया प्राप्त गणना मिल जनसंघ से वन्की अपन सम्पत्ति हो, उनसे ही निर्णय न किया जाय। ईंट कानिडा की एक प्रकल्प में 10 वर्ष तथा कान्कटेरिड को एक प्रकल्प में 15 वर्ष तक की सुवर्ण तक की विपश्यन रखा जा सकता है, जिससे ईंट कान्कटेरिड को विपश्यन में इतनी कान्कटेरिड की निर्णय की गारंटी भी सम्पत्ति होगी।
- 6- उपरोक्त कान्कटेरिड कान्कटेरिड प्रकल्प से लागू सम्पत्ति जायेगी।
- 7- कृषक इस कान्कटेरिड से पुश्तिस पुश्तिस के संबंधित प्रकल्प से सम्पत्ति संशोधन किये जाने हेतु गण(पुश्तिस)अनु-7 को स्पष्ट प्रकल्प भेजा जाय।

परमेश

१०/-

माता अम्बर

राजिवा न

संख्या तथा : 8001(7)/अ-1-नरदिर्वत

प्रतिनिधि निम्नलिखित की सूची में एवं आवश्यक कार्यकारी हेतु प्रेषित :-

- (1) पुश्तिस-बनानिर्वहक, पुश्तिस मुख्यालय, सहायवादा।
- (2) पुश्तिस-बनानिर्वहक, अभियन्तन विभाग, 2020।
- (3) पुश्तिस-बनानिर्वहक, अभियन्तन अनुसंधान विभाग, 2020।
- (4) पुश्तिस-बनानिर्वहक, 2020, 2020।
- (5) पुश्तिस-उपबनानिर्वहक, जनकीव तेलने पुश्तिस, 2020, सहायवादा।
- (6) निरीक्षक, पुश्तिस-रेडियो संघ, 2020 पुश्तिस-रेडियो मुख्यालय, सहायवादा।
- (7) गण(पुश्तिस) अनुभाग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 व 13-7
- (8) राधिका, पुष्प भंडारी की।

माता से

१०/-

अर्पण सिन्हा, संयुक्त सचिव।

fax

संख्या: 1091/6-5-1-15-81/2001

6603

प्रति,
उपरोक्त विभाग।

सेवा में,
पुलिस महाविद्यालय,
उत्तर प्रदेश सखनऊ।

गृह (प्रति) अनुभाग-1 नयनक दिनांक 24 जुलाई 2015
विरुद्ध-पुलिस बल के अयोग्य अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के संबंध में।

3202
शास्त्र

श्री दीप

उपरोक्त विषयक कृपक एवं पत्र संख्या: डीपी-वार-न्या-106(370)/2016, दिनांक 17-05-2015 का समर्थ पत्र करने का रुच कर, जिसके द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति के अनुसार पुलिस विभाग के अयोग्य कर्मियों को उनकी सौजन्यता के 02 वर्ष की संप्रदायि के अंतर्गत अपने गृह कर्मचारी के सीमावर्ती जनपदों में नियुक्त करने की व्यवस्था को लागू करने हेतु शासनदेस संख्या: 1839/6-5-1-15-81/2001, दिनांक 07-06-2014 में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

16(E)

D 4
25-7-15

2- इस संबंध में भुने यह कहने का विदेत हुआ है कि अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति पुलिस विभाग के सभी अयोग्य अधिकारियों/कर्मचारियों (निरासक तथा उप निरीसक को छोड़ते हुए) को, जिसकी सेवा अथि 02 वर्ष या उससे कम है, उनके गृह जनपद के सीमावर्ती जनपदों में नियुक्त किए जाने का सम्यक विचारोपराप दिर्णय लिया गया है।

पुलिस महाविद्यालय
उत्तर प्रदेश

3- परन्तु शासनदेस दिनांक 07-06-2014 को उक्त सीमा तक संशोधित उपरस जय। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

श्री दीप
25-7-15
(गणि प्रसाद विभ)
सखिप।

संख्या: 1091(1)/6-5-1-15-81/2001 तद्विर्नांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आचरण कार्यवाही हेतु भिजा:-

1. अपर पुलिस महाविद्यालय, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
2. अपर पुलिस महाविद्यालय, अविशुद्धा विभाग, उ०प्र० सखनऊ।
3. अपर पुलिस महाविद्यालय, अलग अनुभाग विभाग, उ०प्र० सखनऊ।
4. अपर पुलिस महाविद्यालय, डी०ए०सी०, उ०प्र० सखनऊ।
5. अपर पुलिस महाविद्यालय, राज्यीय रेलवे पुलिस, उ०प्र० सखनऊ।
6. अपर पुलिस महाविद्यालय, दूरसंचार, उ०प्र० पुलिस वैश्वी मुख्यालय, सखनऊ।
7. पुलिस उप महाविद्यालय, सखनऊ, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
8. पुलिस उप महाविद्यालय/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सखनऊ जनपद, उ०प्र०।
9. गृह (प्रति) एवं भोपल के सखन अनुभाग।
10. गार्ड फाइल।

HCC/...

पुलिस महाविद्यालय (सखनऊ)

26/7/15

आज्ञा से,

(सखन सखन)
अनु सखिप।

पुलिस उप महाविद्यालय (सखनऊ)
मुख्यालय पुलिस महाविद्यालय
उ० प्र० सखनऊ
26/7/15